न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 163/2020, जिला दौसा

1. जगदीश पुत्र रामला जाति गुर्जर निवासी बगडेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. रामहेत पुत्र भौरीलाल जाति बलाई निवासी बगडेडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.10.2015 बअदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा प्रकरण संख्या 34/2013 उनवानी जगदीश बनाम रामहेत

उपस्थित—

1. श्री विनोद कुमार विजय वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट नं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक —17.10.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 05.10.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ पेश किया कि वाके ग्राम बगडेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 27 में से 10 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 10.08.1970 या 20.08.1970 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.10.2015 को प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 05.10.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र रामला जाति गुर्जर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अति0 जिला कलक्टर दौसा दिनांक 05.10.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। रेस्पो संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बगडेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 27 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेण्ट नं. 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन योग्य भूमि न होते हुये भी दिनांक 10.08.1970 या 20.08.1970 को किया गया। इस संबंध में कोई आवंटन मिटिंग नहीं हुई ना ही कोई उद्घोषणा की गई एवं चारागाह भूमि होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेण्ट के कथनों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट के कथनानुसार आवंटित भूमि की किस्म की जॉच

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की गई जो कि आवंटन के समय भूमि की किस्म चारागाह थी एवं उक्त भूमि पर अपीलांट एवं उसका परिवार अपने पशुओं को चराने के लिए चारा करते हैं एवं अपीलार्थी निरन्तर रूप से उक्त अपीलाधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम बगडेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नं. 27 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से उद्घोषणा पश्चात् ही किया गया है जिसको लगभग 45 वर्ष तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के समक्ष लगभग 45 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत कर आवंटन को चुनौती दी है इससे पूर्व उसके द्वारा उक्त आवंटन के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई। हम समझते हैं कि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन विधिवतरूप से उद्घोषणा कर मजमेआम में किया जाता है इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति पहले नहीं उठाई गई। अपीलांट का तर्क है कि उक्त भूमि चारागाह है इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट स्वयं एक अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर दौसा दिनांक 05.10.2015 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा का निर्णय दिनांक 05.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर